

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव एवं मतदान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक – एक समसामयिक अवलोकन

सारांश

लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा एवं जनता के लिए स्थापित शासन प्रक्रिया है इसमें लोकतंत्र को गतिशील एवं सशक्त बनाने में समयबद्ध चुनाव प्रक्रिया का होना तथा इसमें मतदाताओं की अधिकतम सहभागिता होना बहुत ही अनिवार्य है परन्तु लोकतंत्र में चुनाव एवं मतदान या मतदाताओं के मतदान व्यवहार को अनेक कारक प्रभावित करते हैं जिसमें सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के कारक शामिल होते हैं महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक सशक्त प्रभावशाली, स्वच्छ व पारदर्शी बनाने एवं मतदाताओं की अधिकतम सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कारकों जो कि लोकतंत्र को कमजोर करते हैं उसकी भावना को दूषित करते हैं व अच्छे जनप्रतिनिधियों के चुनाव में बाधा बनते हैं उनको दूर करना अनिवार्य है जैसे – जातिवाद, गरीबी, निरक्षरता, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अपराधीकरण एवं कमजोर नेतृत्व क्षमता आदि जिससे कि हमारा लोकतंत्र सशक्त, गत्यात्मक एवं विकासोन्मुख बन सके।

मुख्य शब्द : लोकतंत्र, मतदान व्यवहार, नेतृत्व क्षमता, प्रतिनिधित्व, जातिवाद, गरीबी, निरक्षरता, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अपराधीकरण आर्थिक साधन प्रबुद्ध वर्ग।



गुलाम रसूल खान

व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय कला महाविद्यालय
कोटा ,राजस्थान

प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। भारतीय लोकतंत्र को स्वरूप देने में व गत्यात्मक बनाने में आम चुनावों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में से समयबद्ध चुनाव प्रक्रिया को निकाल दिया जाये तो सारी व्यवस्था निर्जीव बनकर रह जायेगी क्योंकि भारतीय मतदाताओं की सांसों में प्रजातंत्र का वास है वह थोड़ी सी भी तानाशाही सहन नहीं कर सकते और तुरन्त आगामी चुनावों में इसके विरोध की अभिव्यक्ति कर देते हैं मतदाताओं का यह व्यवहार उनकी राजनीतिक परिपक्वता का द्योतक है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के जिन आदर्शों को राष्ट्रीय संकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है उन्हें यथार्थ के धरातल पर साकार करने का दायित्व उस सरकार का होता है जो निर्वाचन के फलस्वरूप पदासीन होती है भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है जिसमें संघात्मक गणतंत्र में निर्वाचन की स्वतंत्रता एक स्वतंत्र सरकार को स्थापित करने की पहली शर्त होती है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखकर किया है –

1. लोकतंत्र के विविध आयामों एवं चुनौतियों का विश्लेषण करना।
2. लोकतंत्र को निकट से प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना।
3. चुनाव प्रक्रिया में मतदान व्यवहार का अध्ययन करना।
4. राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर लोकतंत्र एवं चुनाव एवं मतदान व्यवहार की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

फडिया बी.एल. एवं जैन पुखराज (2010) ने अपनी पुस्तक, भारतीय शासन एवं राजनीति में भारत में लोकतंत्र की चुनौतियों का विस्तार से विश्लेषण किया है।

दुबे अभय कुमार (2005) ने अपनी पुस्तक, लोकतंत्र के सात अध्याय में लोकतंत्र में चुनाव एवं मतदान को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण किया है एवं सुझाव भी दिये हैं।

दुबे अभय कुमार (2005) ने अपनी पुस्तक राजनीति की किताब में लोकतंत्र समस्या एवं समाधान का विश्लेषण किया है।

एम.एस. राणा (2000) ने अपनी पुस्तक, इण्डिया वोटर्स लोकसभा एण्ड विधानसभा इलेक्शन्स 1999-2000 में चुनाव एवं मतदान को प्रभावित करने वाले तत्वों का विश्लेषण किया है।

अशोक शर्मा (1984) ने अपनी पुस्तक, भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन में लोकतंत्र की चुनौतियों एवं समाधान का अध्ययन किया है।

पत्रिका ईयर बुक (2017), राजस्थान पत्रिका कार्यालय जयपुर में लोकतंत्र चुनाव जनप्रतिनिधियों के दायित्वों एवं मतदाताओं की प्रतिक्रियाओं का विस्तृत विवेचन किया।

शोध सीमा

शोध कार्य करते समय शोधार्थी के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वह अपने कार्य की सीमाओं का ध्यान रखे व इसे इस प्रकार से समायोजित करे कि शोधकार्य नियत समय पर पूर्ण हो सके। अतः प्रस्तुत शोधकार्य को समय की सीमाओंको ध्यान में रखते हुए केवल लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों एवं मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों तक ही सीमित रखा गया है ताकि शोधकार्य नियत समय पर पूर्ण हो सके।

शोध पद्धति

किसी भी शोधकार्य के लिए उपर्युक्त शोधविधि का चयन करना अत्यंत आवश्यक है उपर्युक्त शोधविधि का चयन करके ही शोधार्थी अपने शोधकार्य को यथेष्ट परिणाम तक पहुँचा सकता है। इसलिए इस प्रस्तुत शोध में शोधसर्वे एवं अनुसंधान विधि के साथ साथ तुलनात्मक सर्वेक्षणात्मक पर्यवेक्षणात्मक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हुआ है। तथा मतदाताओं के मतदान व्यवहार का अध्ययन करने के लिए रेण्डम सेम्पलिंग प्रणाली, प्रश्नावली एवं अनुसूची का प्रयोग करके परिणाम प्राप्त किये गए हैं।

वास्तव में मतदान मनोवैज्ञानिक तत्वों से प्रेरित एक गूढ़ राजनीतिक प्रक्रिया है जो अनेक आंतरिक और बाहरी तत्वों से प्रभावित होती है। स्वभाविक रूप से मतदान व्यवहार के अध्ययन में अनेक कठिनाईयाँ भी आती हैं जैसे –

1. एक क्षेत्र के चुनावी मुद्दे एवं मतदान व्यवहार दूसरे क्षेत्र के चुनावी मुद्दों एवं मतदान व्यवहार से भिन्न होता है, इसलिए किसी एक क्षेत्र के मतदान व्यवहार के आधार पर इस संबंध में किसी प्रकार के सामान्य निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान प्रवृत्तियों के लम्बे समय तक अवलोकन के आधार पर ही इस संबंध में किन्ही परिणामों पर पहुँचने की आशा की जा सकती है।
2. भारत जैसे विविधता वाले देश में केवल कुछ निश्चित शीर्षकों के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश के मतदान व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता अतः यह कठिनाई आती है कि किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाये और किन शीर्षकों के अन्तर्गत यह अध्ययन किया जाये।

3. इस संबंध में सबसे प्रमुख कठिनाई यह है कि जिन व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जाता है उनमें से अनेक अध्ययनकर्ता के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते और जो व्यक्ति उत्तर देने की क्षमता रखते हैं वे भी जान बूझकर ठीक-ठीक उत्तर नहीं देते। उनके मन में सदैव ही यह आशंका रहती है कि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति या तो शासन का प्रतिनिधि है या किसी विशेष राजनीतिक दल की ओर से उसके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है।

4. कई बार भाषा की और दूसरी कठिनाईयाँ भी सामने आती हैं जिनको पूर्ण रूप से दूर किया जाना संभव नहीं है। यह तभी दूर हो सकती है जबकि अध्ययनकर्ता लम्बे समय किये गये अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाले और उस क्षेत्र की राजनीति संस्कृति आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों से पूर्णतया परिचित हो।

इसी कारण जैसा कि डॉ. एस. एल. वर्मा ने माना है कि शोध समस्या या विषय का निर्धारण प्रकल्पना तथा अनुसंधान कार्य की प्रक्रिया है वह आसान नहीं है तथ्यों का संकलन, साक्षात्कार और निश्चित परिणाम तक पहुँचाना आसान नहीं है। वैसे तो विचारधारा और राजनीतिक दल के माध्यम से सत्ता प्राप्ति की लालसा आदि महत्वपूर्ण हैं परन्तु भारत के संबंध में जातिवाद, आर्थिक स्थिति, नेतृत्व, राजनीतिक स्थिरता और केन्द्र या प्रदेश में सुदृढ़ सरकार की आकांक्षा, दलों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियाँ, क्षेत्रवादी निष्ठाएँ, भाषायी स्थिति, प्रशासनिक सफलता-असफलता, युद्ध में सफलता-असफलता, सामंतशाही व्यवस्था का प्रभाव, किसी आन्दोलन विशेष में दलों की भूमिका आर्थिक साधन, ज्ञान एवं जानकारी, राजनीतिक समझ तथा कोई लहर विशेष भारत में मतदान को प्रभावित करने वाले तत्व रहे हैं।

सम्पूर्ण भारत के सदर्थ में यह भी कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति विशेष भी प्रमुख हो जाता है जैसे सोनिया गाँधी और उसके विदेशी मूल का मुद्दा तथा बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में गठबंधन के द्वारा सत्ता प्राप्त करने की लालसा आदि भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं और मतदान का प्रतिशत कम या अधिक हो जाता है।

अनेक बार मतदान व्यवहार इस बात से भी निश्चित होता है की कोई दल कितना बढ़ा है क्षेत्रिय दलों की क्या स्थिति है किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होना, राज्य व स्थानीय स्तर पर सरकार की उपलब्धियों का मतदाताओं द्वारा मूल्यांकन करना इसी कारण 2003 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी परन्तु केन्द्र में 2004 में काँग्रेस की सरकार बनी अर्थात् राज्य (क्षेत्र) में भारतीय जनता पार्टी और केन्द्र में काँग्रेस नीति गठबंधन को सफलता मिली।

अतः स्पष्ट है कि मतदान के समय भारत में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली होने के कारण यह भी समझना आवश्यक है कि भारत का सामाजिक और राजनीतिक परिवेश किस प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह देखना पड़ता है कि किस प्रकार मताधिकार प्राप्त नागरिक अपने शासकों के चयन हेतु निर्णय लेते हैं और

निश्चित प्रक्रिया और विधि द्वारा अपने उम्मीदवार की पसंद स्पष्ट करते हैं इसलिए राजनीति में चुनाव विशेषकर लोकतंत्र में उसकी आत्मा का काम करते हैं और मतदाता के लिए भूमि तैयार करते हैं जहाँ वह मतदान द्वारा सरकार रूपी पौधे का रोपण कर सके अतः जहाँ लोकतंत्र है वहाँ निर्वाचन अनिवार्य है और उसी से यह स्पष्ट होता है कि अल्पसंख्यकों, महिलाओं व निम्न वर्गों तक किस प्रकार राजनीतिक समझ पहुँचती है तथा उनके मतदान व्यवहार और सहभागिता में प्रतिशत कम या अधिक होता रहता है इसलिए राजनीतिक दलों का और निर्वाचनों का भी विधिवत स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि दल ही वर्तमान में लोकतंत्र की जीवन डोर है इसी कारण अनेक बार लोकतंत्र को दलीय तंत्र भी कहा जाता है अतः निर्वाचन और मतदान व्यवहार का वास्तविक अध्ययन होना चाहिए इसीलिए सर्व प्रथम यही स्पष्ट किया गया है कि मतदान व्यवहार का आशय क्या है और इसमें जो भी दुविधाएँ हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है।

मतदान व्यवहार पर अनेक देशों की राजनीति में ना ना प्रकार के अध्ययन किये गये हैं प्रो. एलन बॉल ने इस व्यवहार और तत् सम्बंधी अध्ययनों के अधिकार पर मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों का आंकलन प्रस्तुत किया है उनके मत को मतदान व्यवहार के संदर्भ में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है जैसे-राजनीतिक पद्धति में चुनावों की जटिल तथा संश्लिष्ट भूमिका को निर्वाचन समूहों के मतदान आचरण के परीक्षण से समझा जाता है।

शास्त्रीय उदारवादी दृष्टि से देखा जाये तो बुद्धि से काम लेने वाले किसी निर्वाचक को आर्थिक हितों की दृष्टि से तथा जिसे वह राष्ट्रीय हित मानता है उसके आधार पर अथवा अपने विश्वास के अनुसार अपने राजनीतिक मूल्यों के आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए तथा उसे कई उम्मीदवारों के प्रतियोगी कार्यक्रमों में से एक का चुनाव करना पड़ता है इसके विपरीत मुख्य रूप से ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में किये गये शोध कार्य से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निर्वाचक के मत प्रयोग पर नीति सम्बंधी मुद्दों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। मतदाता दल निष्ठाएँ अपने परिवार से विरासत में पाते हैं निष्ठा सामाजिक वर्ग जैसे घटकों से निर्धारित होती है इससे संदेह होता है कि क्या निर्वाचकों में परम्परागत परिभाषिक शब्दावली के अनुसार वामपंथी एवं दक्षिण पंथी दलों के बीच भेद स्पष्ट करने की समझ होती है।

ब्रिटेन में किये गये सर्वेक्षणों से पता चलता है कि निर्वाचकों में किसी दल की नितियों के बारे में ज्ञान और उनको स्वीकृति देने का स्तर निम्न कोटी का होता है सर्वेक्षण करने वाले विद्वानों ने मूल्यांकन किया है कि निर्वाचक समूहों में से केवल 10 प्रतिशत ने ही नीति सम्बंधी मुद्दों के आधार पर मतदान किया। दल निष्ठा के संदर्भ में मतदान आचरण की अधिक सफलता पूर्वक व्याख्या की जा सकती है क्योंकि यह निष्ठा सामाजिक वर्ग और धर्म आदि कई घटकों से निर्धारित होती है सामाजिक वर्ग चुनाव सम्बंधी आचरण में एक स्पष्ट कारक होता है। इस सम्बंध में पीटर कुल्जर ने दृढ़तापूर्वक दावा

किया है कि ब्रिटिश दलीय राजनीति का आधार वर्ग है बाकी सब मात्र दिखावा है अमेरिकी चुनाव में पश्चिमी यूरोप की तुलना में सामाजिक का महत्व कम है। तो कम आमदनी वाले लोगों में डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करने की प्रवृत्ति होती है।

यह उल्लेखनीय है कि सामाजिक वर्ग को परिभाषित करने में कठिनाई आती है। व्यवसाय (धंधा) आमदनी और शिक्षा वर्गीकरण का महत्वपूर्ण मापदण्ड होता है। लेकिन निर्वाचकों की चुनावी प्राथमिकता और वर्ग को एक विश्वसनीय पथ प्रदर्शक मानने के लिए हमें बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकनों को दृष्टि में रखना चाहिए साथ ही मतदान के वर्ग प्रति रूप में होने वाली भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए ब्रिटेन में मतदान आचरण में सामाजिक वर्ग सबसे अधिक प्रभावी कारक है तो भी अनुदारवादी दल के चुनावी समर्थन का आधा भाग मजदूर वर्ग के मतदाताओं (मजदूर वर्ग के कुल निर्वाचक समूह का एक तिहाई) से प्राप्त होता है।

निर्वाचन की सामाजिक आर्थिक स्थिति जितनी निम्न होती है वह निर्वाचन उतना ही उन दलों की ओर झुकता है जो क्रॉति और परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबंध होते हैं। अतः यह तथ्य उदारवादी प्रजातंत्रों में निम्न आर्थिक स्थिति वाले मतदाताओं Social Democratic तथा कम्युनिष्ट पार्टी जैसे अपेक्षाकृत साधनहीन व केन्द्र से लाये दलों के साथ अपना तारतम्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है।

कुछ राजनीति पद्धतियों में धार्मिक सह सम्बंध तथा प्रजाति जैसी बातें मतदान आचरण के अधिक महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में होती हैं जैसे उत्तरी-आयरलैण्ड में यूनियनिष्ट पार्टी सामाजिक वर्गों की ओर ध्यान दिये बिना ही प्रोटेस्ट मतों का भारी बहुमत जीत लेती है। अमेरिक सहजातिय अल्प संख्यकों में डेमोक्रेटिक पार्टी को समर्थन देने की प्रवृत्ति है और कनाडाए बेलजियम तथा दक्षिण अफ्रिका में मतदान अधिकांशतः धार्मिक सहजातिय विभाजनों पर आधारित होता है।

मतदान प्रतिरूपों में लिंगभेद (सेक्स) की तरह उम्र को प्रभावित करने वाले कारक उम्र के अंकन में कठिनाई पैदा करते हैं सिर्फ यह बात ही नहीं है कि ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं में अनुदारवादी दलों को अपना मत देने की प्रवृत्ति होती है यह भी सत्य है कि उम्र उस ऐतिहासिक अवधि को प्रतिबिम्बित करती है जिसमें उस निर्वाचक की मतदान करने की आदतें बन रही होती हैं यह भी एक तथ्य है कि उम्र का किसी दल के लिए उस निर्वाचक के लगाव की अपेक्षा कम असर पड़ता है और जैसे-जैसे यह उम्र बढ़ती जाती है यह लगाव और मजबूत होता जाता है।

विश्लेषण एवं परिणाम

इन महत्वपूर्ण कारकों के अतिरिक्त चुनाव व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनेक सहायक और गौण कारक हो सकते हैं वास्तविकता यह है कि मतदान आचरण स्थिर नहीं होता यह समय परिस्थिति और मनोदशा के अनुसार बदलता रहता है।

भारत में लोकतंत्र एवं मतदान व मतदाताओं के व्यवहार को जो परिस्थितियाँ प्रभावित करती है उनको भी निम्नानुसार समझा जा सकता है –

1. भारत में जातिवाद का तथ्य सभी राज्यों में प्रभावी है परन्तु बिहार उत्तरप्रदेश पंजाब हरियाणा राजस्थान तथा केरल में इसका प्रभाव अधिक है मतदान व्यवहार में जातिवाद और जातिगत राजनीति का प्रभाव उन जातियों में अधिक पाया जाता है जो किसी क्षेत्र में अपेक्षाकृत बहुसंख्यक है और जो अपने मतों के बल पर अपनी जाति के उम्मीदवारों को जिताने की स्थिति में है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा अल्पसंख्यक जाति के लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है जनवरी 1980 के लोक सभा चुनाव में अनेक बड़े दलों द्वारा जातिय आधार पर अपने उम्मीदवार खड़े किये गये 1984 एवं 1989 व 1991 के संसदीय चुनावों में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिली 1996 के चुनावों में तो यह स्थिति निर्णायक सी लगी और उसके बाद ऐसी ही प्रवृत्ति अभी तक देखने में आती है।
2. लोगों की आर्थिक स्थिति मतदान को प्रभावित करती है प्रवृत्ति यह है कि लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो मतदान प्रायः शासक दल के पक्ष में होता है अन्यथा मतदान उसके विरुद्ध जाता है जहा तक भारत का प्रश्न है अभी भी यह एक कृषि प्रधान देश है इसलिए शासक दल की चेष्टा रहती है कि चुनाव अच्छी उपज के वर्ष में हो जनवरी 1980 के लोक सभा चुनावों में जनता पार्टी की पराजय का मुख्य कारण यह था कि लोग आर्थिक कठिनाइयों से परेशान हो चुके थे और मारारजी देसाई तथा चौधरी चरण सिंह के समय देश की आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हो गई थी मतदाताओं को विश्वास था कि श्रीमती इंदिरा गाँधी देश को राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक दुश्चक्र के भंवर से निकाल सकती है अतः 1980 के चुनावों में इंदिरा गाँधी को ही सफलता मिली दिसम्बर 1984 के चुनावों में मतदाताओं ने कांग्रेस (ई0) को इसलिए सत्तारुढ़ किया कि वे केन्द्र में शक्तिशाली और स्थिर सरकार के पक्ष में थे। 1989 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं देने का कारण आर्थिक परेशानियाँ थी। 1991 के चुनावों में आर्थिक मुद्दे तो नगण्य थे परन्तु स्थिति कुछ ऐसी थी कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो रही और इसके बाद तो कांग्रेस कभी अपने बूते पर अपनी सरकार नहीं बना पायी यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारत की विविधता के पक्षधर गठबंधन सरकारों को ही महत्व देने लगे है जिसके अवशेष अभी भी मौजूद है।
3. सत्तारुढ़ दल के आचरण एवं क्रियाकलापों का मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है चुनावों के समय सत्तारुढ़ दल यदि जनहित के कार्यों में अधिक रुचि लेता है लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की उचित व्यवस्था करता है और शांति व व्यवस्था की स्थिति बनाये रखता है तो मतदान प्रायः शासक दल के पक्ष में ही होता है मार्च 1977 के लोक सभा चुनाव के समय सत्तारुढ़ कांग्रेस की अथवा कांग्रेस

सरकार की आपातकालीन ज्यादतियों से लोग परेशान हो चुके थे अतः मतदाताओं ने कांग्रेस को शासन के गलियारों से बाहर कर दिया। जनवरी 1980 के लोकसभा चुनावों में शासक दल के क्रिया कलाप जनता को संतोष देने वाले नहीं थे अतः जनता पार्टी व लोक दल को सत्ता से हटना पड़ा 1989 में कांग्रेस की पराजय में बफोर्स तोप जैसे मुद्दों का हाथ रखा 1991 के चुनावों में मतदाताओं ने गैर कांग्रेसी सरकारों की असफलताओं से रुष्ट होकर कांग्रेस (आई) को सत्तारुढ़ किया 1996 के चुनाव अधिक जटिल और बहुआयामी दिखाई दिये तथा उसके बाद का परिदृश्य और भी भिन्न दिखाई दिया।

4. मतदान को प्रभावित करने वाला एक प्रधान तत्व नेतृत्व है भारत में तो इस तत्व के आधार पर देश के अब तक के चुनावों की व्याख्या की जा सकती है प्रथम तीन आम चुनावों में (1952, 1957 व 1962) मुख्यतः पण्डित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व के कारण कांग्रेस पार्टी को मत मिले, चौथे आम चुनावों में कांग्रेस की आंशिक पराजय इसलिए हुई कि कांग्रेस के पास पं. नेहरू जैसा कोई चमत्कारिक नेता नहीं था, 1971-72 के चुनावों में श्रीमती इंदिरा गाँधी के आकर्षक एवं विलक्षण नेतृत्व ने मतदान व्यवहार को कांग्रेस के पक्ष में किया तो 1977 में कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि कुछ अरुचिकर कार्यों के कारण श्रीमती इंदिरा गाँधी के व्यक्तित्व की छवि धूमिल हो चुकी थी बाद के समय सत्तारुढ़ दल का नेतृत्व आपसी लड़ाई का शिकार रहा और जनता में अपना आकर्षण खो बैठा इसी बीच राजनीतिक कौशल, साहस और अपनी विलक्षण राजनीति के बल पर श्रीमती इंदिरा गाँधी ने भारतीय जनता में अपनी खोई छवि को पुनः सुधार लिया और जनवरी 1980 में मुख्यतः श्रीमती इंदिरा गाँधी के कारण कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान हुआ। दिसम्बर 1984 के चुनाव में राजीव गाँधी के व्यक्तित्व से मतदाता प्रभावित रहे परन्तु 1989 में बफोर्स दलाली के मामले में राजीव गाँधी का व्यक्तित्व धूमिल हो गया तो कांग्रेस पराजित हो गई और वी. पी. सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी, मई 1991 के लोकसभा चुनाव में नेतृत्व या व्यक्तित्व का कहीं देशव्यापी प्रभाव दिखाई नहीं दिया हॉ भारतीय जनता पार्टी कुछ संभलती हुई अवश्य दिखाई दी और इसकी संभलती हुई स्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी व लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका महत्वपूर्ण रही फिर भी 1991 में कांग्रेस (आई) की विजय में राजीव गाँधी की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुई सहानुभूति लहर का महत्वपूर्ण हाथ रहा। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व क्षमता का 2014 के चुनाव में बी.जे.पी. को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
5. भारतीय मतदाताओं ने अपने मतदान व्यवहार से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि वे केन्द्र में ऐसी सरकार चाहते हैं जो स्थाई और सक्षम हो एक इकाई की भाँति काम कर सके। देश को राजनीतिक

- स्थिरता प्रदान करते हुए उनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अर्जित कर सके, 1977 के पूर्व तक के चुनावों में काँग्रेस के पक्ष में मतदान का यही एक प्रमुख कारण रहा कि मतदाताओं को विश्वास था कि देश में शासन संभालने योग्य दल केवल काँग्रेस है और इस दल के पास सुयोग्य नेतृत्व है जबकि विपक्षी दल आपसी फूट के शिकार हैं और काँग्रेस की तुलना में उनके पास सुयोग्य नेतृत्व नहीं है। जब 1970 में कुछ प्रमुख विरोधी दल जनता पार्टी के रूप में संयुक्त हो गये तो मतदाताओं को आशा बंधी की काँग्रेस का शक्तिशाली विकल्प मौजूद है और उसे अवसर देना चाहिए। भारतीय जनता को कुछ ऐसा विश्वास हो गया कि जनता पार्टी स्थाई और कुशल शासन दे सकती है। जनता पार्टी को सत्ता प्रदान की गई लेकिन जब जनता पार्टी की आपसी फूट, अक्षम नेतृत्व और वयोवृद्ध नेताओं के कारण यह पार्टी बिखर गई तो देश में राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरता छा गई तो मतदाताओं ने काँग्रेस को पुनः सत्ता में ला दिया, 1991 के लोकसभा चुनावों में सभी दलों के घोषणा-पत्रों में स्थायी सरकार का वादा किया गया मतदाताओं ने केन्द्र में स्थिर सरकार की स्थापना करने के उद्देश्य से ही काँग्रेस (आई) को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया संघवाद और राज्यों की अधिकार स्थिति को देखते हुए 1996 व उसके बाद के चुनावों में राजनीतिक स्थिरता पर पुनः प्रश्न चिह्न लग गया उसके बाद तो कुछ ऐसा ही कहा जाने लगा कि गठबंधन सरकारें भी स्थिर और स्थायी हो सकती है और देश का वास्तविक प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व भी कर सकती है, यह स्थिति 1999 से वर्तमान तक निरंतर देखी जा सकती है।
6. भारत के कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रवाद मतदान को प्रभावित करता रहा है जैसे कई अवसरों पर पंजाब में अकाली दल ने, तमिलनाडू डी. एम. के. और AIDMK, पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी और वर्तमान में तृणमूल काँग्रेस तथा महाराष्ट्र में शिवसेना, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आदि क्षेत्रवाद के आधार पर सफलता प्राप्त करते रहे हैं दक्षिण और उत्तर के राज्यों में यह प्रवृत्ति स्पष्ट देखी जा सकती है।
7. यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य वर्ग कम तथा प्रबुद्ध वर्ग अधिक राजनीतिक दलों की विचार धाराएँ कार्यक्रमों व नीतियों से प्रभावित होता है चुनाव से पूर्व विविध दलों के जो घोषणापत्र प्रकाशित होते हैं वे प्रायः जनसाधारण के समझने की वस्तु न होकर केवल पढ़े लिखे व प्रबुद्ध वर्ग के समझने की वस्तु होते हैं जैसे-विभिन्न दलों के कार्यक्रमों में सम्मिलित समाजवादी समाज की स्थापना, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र व समाज के प्रति आस्था, गाँधीवादी सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्धता, अर्थतंत्र व शासन का विकेन्द्रीकरण एवं अन्त्योदय जैसी शब्दावलियाँ या अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए और अपनी संतान के सुरक्षित भविष्य के लिए दल को मत दीजिए, इस शब्दावली को प्रबुद्ध वर्ग के लोग ही समझ सकते हैं, इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि

दलों की विचारधारा नीति व उनके कार्यक्रम अधिकतम प्रबुद्ध वर्ग के मतदान के व्यवहार को ही प्रभावित करते हैं तथा उनका प्रभाव जन साधारण के मतदान पर कोई खास नहीं पड़ता।

8. भारत में भाषा का तत्व भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है जैसे 1967 व 1981 के चुनावों में डी एम के को जो भारी समर्थन मिला उसके मूल में हिन्दी विरोध का बड़ा हाथ था 1977 के लोक सभायी चुनावों में दक्षिण भारत में जनता पार्टी की असफलता का एक मुख्य कारण यह रहा कि दक्षिण भारत के मतदाता जनता पार्टी की भाषा नीति के सम्बंध में पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे और उन्हें आशंका थी की कहीं उन पर हिन्दी थोपने का प्रयत्न नहीं किया जाये।
9. मतदान व्यवहार पर सामंतशाही व्यवस्था का अथवा राजा-महाराजा और जागीरदारों का प्रभाव लम्बे अरसे तक रहा किन्तु अब यह क्रमशः कम होता जा रहा है जैसे 1989 के लोकसभा चुनावों में जयपुर जैसे क्षेत्र से भूतपूर्व महाराजा भवानी सिंह काँग्रेस (आई) भाजपा के गिरधारी लाल भार्गव से पराजित हो गये, 1991 के संसदीय चुनावों में भी यह प्रवृत्ति दिखाई दी और उसके बाद की सच्चाई तो यह है कि यह प्रवृत्ति लगभग समाप्त होती जा रही है।
10. विभिन्न राजनीतिक दलों के अतीत के क्रिया कलाप मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं जैसे काँग्रेस को पहले तीन आम चुनावों में अधिक मत प्राप्ति का एक मुख्य कारण यह रहा कि उसने स्वतंत्रता संग्राम में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा भारतीय जनसंघ को मतदान में एक मुख्य बाधा इस बात से रही कि उसकी नीति अखण्ड भारत की थी।
11. आर्थिक साधन भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं जनवरी 1980 के चुनावों में इंदिरा काँग्रेस को अधिक मतदान का एक कारण यह रहा कि यह दल विपक्ष की तुलना में अधिक साधन सम्पन्न था तथा सुगठित एवं व्यापक स्तर पर अपना चुनाव अभियान चला सकता था यहाँ यह टिप्पणी की जा सकती है कि कई बार आर्थिक साधन सम्पन्नता चुनावों को निर्णायक रूप से प्रभावित नहीं कर पाती, जैसे 1977 में हुआ तथा 1989 में भी काँग्रेस (आई) द्वारा चुनावों में भारी मात्रा में आर्थिक साधन झोंकने के बाद भी पराजय का सामना करना पड़ा अतः यह माना जा सकता है कि आर्थिक साधनों के होते हुए भी स्थिति कभी भी बदल सकती है।
12. कौन सा राजनीतिक दल अथवा कौनसा प्रत्याक्षी चुनाव में विजयी होगा इसकी सम्भावना मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। 1977 के चुनावों में काँग्रेस के विरुद्ध जनता लहर छा गई और जिसके पक्ष में चुनाव लहर चल रही हो उसको लोग मत देते हैं। ताकि उनका मत व्यर्थ न जाये। एक दल के पक्ष में लहर दूसरे दल के विरुद्ध एक प्रकार से झाड़ू लगा देती है। जैसा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में किया। 1980 व 1984 में काँग्रेस लहर ने चुनावों में विपक्षी दलों का सफाया

कर दिया। 1989 में काँग्रेस (आई) के विरुद्ध चली जनता लहर ने उसे सत्ता से वंचित कर दिया। 1991 के चुनावों में दक्षिण भारत में काँग्रेस (आई) ने पक्ष में चलने वाली लहर ने इस दल को भारी विजय दिलाई लहर में जो मतदान होता है उसे विभिन्न पर्यवेक्षक पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं और समय के साथ यह स्थिति सभी दलों के लिए अनुपयोगी बन चुकी है।

13. सरकार के द्वारा लिए गए अभूतपूर्व निर्णय भी मतदाताओं को गहरे रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे वर्तमान सरकार के द्वारा नोट बंदी व जी.एस.टी. के निर्णय ने प्रभावित किया है। राजनीतिक क्षेत्रों में यह भ्रामक धारणा भी रही है कि भारत की जनता अशिक्षा अधिक गरीबी जातिगत द्वेष धर्मान्धता आदि की शिकार है। इसलिए मताधिकार का प्रयोग विवेक के साथ नहीं कर पाई है। परन्तु इस धारणा की विभिन्न चुनावों में हुए मतदान से पुष्टि नहीं होती है क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़कर जनता ने अनुशासनप्रियता प्रदर्शित की है और अपने मताधिकार की कीमत भी समझी है।

निष्कर्ष

मतदान व्यवहार से पिछले 30 वर्षों में जो परिणाम सामने आये हैं उनमें त्रिशंकु संसदों का जन्म छोटे गुटों की सामूहिक शक्ति में भारी वृद्धि अल्पमतीय सरकार मिली—जुली सरकार और राजनीतिक अस्थिरता के दौर को देखना पड़ा है यह दौर विशेषकर 90 के दशक में देखा गया है और जो भी नेतृत्व रहा उसे किसी तरह सहमति के पुल बाँधने हेतु निरंतर जूझना पड़ा 1999 में वाजपेयी के नेतृत्व को स्वीकृति मिली और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला सन 2004 में सोनिया गाँधी का विदेशी मूल का मुद्दा कोई खास नहीं रहा और काँग्रेस बड़े दल के रूप में उभरी और धीरे-धीरे स्थिरता को बढ़ावा मिला इसीलिए सन् 2009 में 15 वीं लोकसभा के मतदान परिणामों के बाद यह कहा गया कि यह स्थिरता के लिए जनादेश है 16 वीं लोकसभा अप्रैल-मई 2014 में जनादेश जो नरेन्द्र मोदी के पक्ष में गया इसको सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि हाशय पर पड़ी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का कार्य किया जाये। यह भी देखने में आया है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लुभावने नारे भी दिये जाते हैं। जैसे श्रीमती इंदिरा गाँधी की मृत्यु के बाद इंदिरा गाँधी की याद में राजीव गाँधी के साथ में का नारा दिया गया। वर्तमान सरकार का एक नारा तो प्रसिद्ध भी हुआ और हास्य का विषय भी हो गया जो है — अच्छे दिन आने वाले हैं। इस प्रकार भारत में मतदान व्यवहार पर सरसरी नज़र डालने से यही स्पष्ट होता है कि यहाँ कुल मिलाकर मतदान व्यवहार के विषय में निश्चित प्रवृत्तियाँ खोजना एक व्यवहारिक स्थिति नहीं है। प्रतिवर्ष देश की राजनीति और आर्थिक स्थिति इतनी तेजी से बदल रही है कि संरक्षण का यह प्रश्न मतदान को सबसे अधिक प्रभावित करता है। मतदान के सभी समीकरण कुछ वर्ष भी नहीं चल पाते और कोई भी दल अपने एकाधिकार का दावा भी नहीं कर सकता। पंचायती राज सामाजिक न्याय आर्थिक

उदारीकरण की नीतियों में निर्वाचन राजनीति को झकझोरा है और ऐसी स्थिति में भारतियों का मतदान व्यवहार किसी एक ढर्रे या भविष्यवाणी के योग्य नहीं कहा जा सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. फडिया बी.एल. एवं जैन पुखराज, भारतीय शासन एवं राजनीति साहित्य भवन, पब्लिकेशन, आगसा 2010 पृ.सं. 596
2. दूबे अभय कुमार, लोकतंत्र के सात अध्याय, विकासशील समाज अध्ययन पीठ वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली 2005, पृष्ठ सं. 82-88
3. दूबे अभय कुमार राजनीति की किताब 2005, वाणी प्रकाशन दरियागंज, नई दिल्ली पृष्ठ सं. 92-93
4. एम. एस. राणा, इण्डिया वोट्स लोकसभा एण्ड विधानसभा इलेक्शन्स 1999-2000, All Analysis Election data and party manifesto), बी. आर. पब्लिकेशन नई दिल्ली 2000
5. रामाश्रय राय और पॉल वेलास, इण्डियन पॉलिटिक्स 1998 इलेक्शंस, रीजनलीज्म, हिन्दुत्व एण्ड स्टेट पॉलिटिक्स, सेंज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली 1999
6. एम. एल. आहुजा, इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स एण्ड जनरल इलेक्शन्स इन इण्डिया (1952-1998), मितल पब्लिकेशंस नई दिल्ली 1998
7. मीनू राय, इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स इन इण्डिया, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स प्रा. लि.एनई दिल्ली 1999
8. अशोक शर्मा, भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन, अनुसंधान व विषय अध्ययन संस्थान जयपुर, 1984
9. सुभाष कश्यप, भारत में निर्वाचन : समस्याएं और सुधार रिसर्च, नई दिल्ली, 1972
10. रजनी कोठारी, पार्टी सिस्टम एण्ड इलेक्शन स्टडीज बोम्बे, 1967
11. पत्रिका ईयर बुक (2017) राजस्थान पत्रिका जयपुर।